भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1739

दिनांक 01 **अगस्त**, 2022

एल पी जी की कीमत में वृद्धि

1739 **श्री मल्लिकार्जुन खरगे**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2014 में एल पी जी सिलेंडर की कीमत रु 414 थी, और सरकार उस पर रु 800 से अधिक की राजसहायता प्रदान कर रही थी;

(ख) क्या बिना किसी राजसहायता के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब रु 1053 है;

(ग) यदि हां, तो इस भारी वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पिछले एक वर्ष में एलपीजी की कीमतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ड.) क्या उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर रु 850 से अधिक का भुगतान करना पड़ता है और यदि हां, तो सिलेन्डरों की कीमतों में इतनी भारी वृद्धि का क्या कारण है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.): देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्यों से जुड़े हुए हैं। एलपीजी मूल्य सऊदी संविदा मूल्यों (सीपी) पर आधारित हैं और सऊदी सीपी अप्रैल, 2020 में 236 डॉलर/एमटी से बढ़कर जून, 2022 में 750 डॉलर/एमटी हो गया है और इसमें 218 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, सरकार घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्कतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। यथा लागू, राजसहायता पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। इसके अलावा, सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों के लिए वर्ष 2022-23 हेतु प्रति वर्ष अधिकतम 12 रिफिल तक के लिए 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की है।

जनवरी 2014 राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 414 रुपए था। 'पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002',' भाड़ा राजसहायता (दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए) योजना, 2002' और बजटीय सहायता तथा अपस्ट्रीम कंम नियों द्वारा कच्चे तेल/उत्पादों पर मूल्य में छूट के जरिए भार हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत अल्प वसूलियों के मुआवजे के माध्यम से तेल विपणन कंम नियों (ओएमसीज) को उस समय बाजार निर्धारित मूल्य और राजसहायता प्राप्त खुदरा बिक्री मूल्य के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति की गई थी।

14.2 कि.ग्रा. के घरेलू एलपीजी रीफिल का मूल्य पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए जुलाई 2021 में 834.5 रुपए से बढ़कर जुलाई 2022 में 853 रुपए तथा गैर पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए जुलाई 2021 में 834.5 रुपए से बढ़कर जुलाई 2022 में 1053 रुपए हो गया है।

****